दिनांक 16.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 18/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद प्रतापगढ़/थाना जेठवारा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूटे गये 52 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 16.09.2023 को थाना जेठवारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से अभियुक्त मो0 जावेद को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 52 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 12.09.2023 को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाश द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जेठवारा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– मो0 जावेद निवासी ग्राम शेखपुर बनी थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी

1—लूटे गये 52 हजार रूपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद श्रावस्ती/थाना कोतवाली भिनगा

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 हजार 870 रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 16.09.2023 को थाना कोतवाली भिनगा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेमरी चौराहा के पास मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—रामस्वरूप घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—वरूण कुमार सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 हजार 870 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त रामस्वरूप के विरूद्ध जनपद गोण्डा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, अमेठी, बाराबंकी, उन्नाव के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 26 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली भिनगा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रामस्वरूप निवासी ग्राम डुमरियाडीह थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

2–वरूण कुमार निवासी सोहांस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी की 11 हजार 870 रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 02 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनॉकः 15.09.2023 को कमिश्नरेट गाजियाबाद/क्राइम ब्रान्च की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना नन्दग्राम क्षेत्र में नन्दग्राम कट के पास से अभियुक्त मुकुल दांगी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 02 किलोग्राम अवैध अफीम बरामद हुआ।

इस सम्बन्ध में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुकुल दांगी निवासी दरियातु थाना चतरा जनपद चतरा, झारखण्ड।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 02 किलोग्राम अवैध अफीम।

जनपद सुल्तानपुर/थाना कूरेभार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी 06 लाख 50 हजार रूपये नगद**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉक:16.09.2023 को थाना कूरेभार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से धोखाधड़ी के 02 अभियुक्तों 1–जयशंकर उर्फ सुमन्त 2–संजीव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी 06 लाख 50 हजार रूपये नगद, 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा एटीएम/बीएनए मशीनों के साफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर भारी मात्रा में पैसो का धोखाधड़ी करते थे।

इस सम्बन्ध में थाना कूरेभार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जयशंकर उर्फ सुमन्त निवासी फत्तेपुर थाना धनपतगंज जनपद सुल्तानपुर।

2–संजीव निवासी ग्राम भौंसा थाना कूरेभार जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी 06 लाख 50 हजार रूपये नगद।

2–01 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना मॉट

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 625 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब**
- **घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद**

दिनॉकः 15.09.2023 को थाना मॉट व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर नोएडा से आगरा की तरफ एक्सप्रेस–वे पर माइल स्टोन 100 के पास से 02 अभियुक्तों 1–आजाद अली 2–गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 625 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, घटना में प्रयुक्त ट्रक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना मॉट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आजाद अली निवासी गांव बर्मा थाना समराला जनपद लुधियाना, पंजाब।

2–गुरजीत सिंह निवासी गांव दिवाला थाना समराला जनपद लुधियाना, पंजाब।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 625 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब।

2–घटना में प्रयुक्त ट्रक।

एसटीएफः हत्या की घटना में जनपद अमेठी से रूपये 50,000/– का पुरस्कार घोषित/वांछित अभियुक्त सुरेन्द्र प्रताप सिंह गिरफ्तार।

दिनांक 16–09–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को जनपद अमेठी के थाना संग्रामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 103/23 धारा 302/147/149/504/506/120बी भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को जनपद अमेठी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

सुरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सुरेन्द्र यादव पुत्र भोलानाथ यादव नि0 ग्रा0 अम्बरपुर थाना संग्रामपुर, जनपद अमेठी।

बरामदगीः–

1–01 अदद मोबाइल फोन।

2–01 अदद आधार कार्ड।

3–नगद 120/–रूपये।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

शंकरपुर चौराहा, ग्राम कसारा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी। दिनांक 16–09–2023, समय 04.15 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री लाल प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

उपरोक्त के क्रम में निरीक्षक श्री आदित्य कुमार सिंह के नेतृत्व में मु0आ0 रणधीर सिंह, गौरव सिंह, प्रशान्त सिंह एस0टी0एफ0 टीम अभिसूचना संकलन हेतु जनपद अमेठी में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि जनपद अमेठी के थाना संग्रामपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0–103/23 धारा 302/147/ 149/504/506/120बी भा0द0वि0 में वांछित रू0 50,000/–के पुरस्कार घोषित अपराधी सुरेन्द्र यादव काफी समय से फरार चल रहा है जो अमेठी में ही अपनी किसी रिश्तेदारी में छिप कर रहा है और कहीं बाहर जाने की फिराक में है, यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर अभियुक्त सुरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सुरेन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि संजय सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र हरिहर सिंह व मृतक दिनेश सिंह पुत्र रामानंद दोनों ग्राम धौरहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी के निवासी है व थाना संग्रामपुर के हिस्ट्रीशीटर है। उपरोक्त दोनों के बीच लगभग 20 वर्ष से कोटेदारी व वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा था। वर्ष–2006 में मृतक दिनेश सिंह के भाई सहदेव सिंह की मुन्ना सिंह ने

हत्या कर दी थी। जिसमें दिनेश सिंह की गवाही हो गयी थी, परन्तु संजय सिंह उर्फ मुन्ना समझौते के लिये दबाव बना रहे थे। जिसके लिये 5–6 लाख रूपये भी देने का प्रस्ताव रखा गया था परन्तु दिनेश सिंह द्वारा मना कर दिया गया था। इसी बीच व्हाट्सएप पर प्रमाणित खबर अंतू ग्रुप बना था जिसमें यह दोनों भी जुड़े हुये थे। जिसमें दिनेश सिंह द्वारा मुन्ना सिंह द्वारा प्रयागराज में किये गये लूट की घटना का पुलिस द्वारा किये गये अनावरण की पेपर कटिंग को शेयर करते हुये लिखा कि कुछ लोग भीगी बिल्ली बने रहते थे आज दिमाग खराब है। जिस पर संजय सिंह उर्फ मुन्ना द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुये घर पर धमकी भिजवाया कि सुधर जाये नहीं तो ठीक कर देगें। इस पर दिनेश सिंह द्वारा कोई जबाब नहीं दिया गया। संजय सिंह उर्फ मुन्ना ग्राम धौरहरा का ग्राम प्रधान भी है, जिसका काम उसका भतीजा दीपक सिंह उर्फ कुलदीप देखता है, को पता चलने पर वह बहुत नाराज हो गया और अपने साथियों 1–सुरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ सुरेन्द्र यादव पुत्र भोलानाथ यादव उपरोक्त 2. रवि शंकर पाण्डेय पुत्र इंद्र नारायण निवासी ग्राम उमरी थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ 3. रिषभ सिंह पुत्र विनोद सिंह 4. विमल सिंह पुत्र अजीत प्रताप सिंह 5. अभय प्रताप सिंह पुत्र शैलेन्द्र सिंह निवासी ग्राम धौरहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को साथ लेकर पता लगाया कि दिनेश सिंह उपरोक्त ग्राम भिटहरी बहद ग्राम साझीपुर से निकलने वाला है। उसको वहीं पर घेरकर लाठी–डंडो से पीट–पीट कर मार डाला गया। मेरे सभी साथियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और मैं फरार चल रहा था तथा लुक–छिप कर अपनी रिश्तेदारियों में रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त सुरेन्द्र यादव उपरोक्त को मु0अ0सं0 103/23 धारा 302/147/149/504/ 506/120बी भा0द0वि0 थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

एसटीएफ: कुख्यात अपराधी सन्नी काकरान का शूटर व रू0 50,000/– पुरस्कार घोषित अपराधी रवि कुमार मुठभेड के दौरान एसटीएफ उ0प्र0 ने घायल अवस्था में किया गिरफ्तार

दिनांक 15–09–2023 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना क्षेत्र इंचौली जनपद मेरठ से कुख्यात अपराधी सन्नी काकरान का शूटर व रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी रवि कुमार को मुठभेड के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः

रवि कुमार पुत्र सुरेश निवासी भगवानपुर, थाना दौराला, जनपद मेरठ

बरामदगीः—

1. 01 अदद तमंचा 315 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर
4. 01 अदद खोखा कारतूस 9 एमएम
5. 01 मोटर साईकिल हीरो होण्डा पेंशन—प्रो रंग काला

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः—

दिनांकः 15.09.2023 स्थान—महल चौराहे से महल गॉव की ओर जाने वाली सड़क, थाना क्षेत्र इंचौली, जनपद मेरठ।

विगत काफी दिनों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में कुख्यात शातिर अपराधियों के सक्रिय होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिये जाने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमे गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान दिनांक 15—09—2023 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी रवि कुमार मवाना की तरफ आ रहा है, जो मसूरी या नगलीईशा के रास्ते से होते हुए दौराला जायेगा। इस सूचना पर निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में हे0कां0 रकम सिंह, हे0कां0 आकाशदीप, हे0कां0 प्रदीप धनकड, हे0कां0 भूपेन्द्र सिंह, उ0नि0 संजय कुमार, हे0कां0 महेश शर्मा, हे0कां0 विनय कुमार, हे0कां0 अंकित श्यौरान एसटीएफ मेरठ टीम ग्राम मसूरी थाना इंचौली तिराहे पर पहुॅची तो वहॉ पर पहले से मौजूद थानाध्यक्ष इंचौली श्री सूर्यदीप सिंह मय हमराह पुलिस बल के मौजूद मिले, जिन्हे मुखबिर की सूचना से अवगत कराते हुए अपराधी की घेराबंदी

की योजना बनाई। मुखबिर द्वारा बताये अनुसार थानाध्यक्ष इंचौली की टीम को मसूरी लॉवड तिराहे पर तथा एसटीएफ टीम नगली ईशा से दौराला की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपने आपको छिपाकर उक्त अपराधी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर पश्चात 01 मोटर साईकिल रंग काला मवाना की तरफ से आते हुये नगली ईशा से दौराली की तरफ जाते हुये दिखाई दी, जिसे मुखबिर द्वारा स्ट्रीट लाईट की रोशन में देखकर पहचान कर कहा कि साहब यहीं रवि है, जिस पर 50,000/—रूपये का ईनाम है, और मुखबिर चला गया। तत्पश्चात एसटीएफ टीम द्वारा थानाध्यक्ष इंचौली को अपनी टीम को लेकर मसूरी लॉवड रोड पर हैडवे स्कूल के सामने से भगवानपुर को जाने वाली सडक से भगवानपुर की तरफ पहूँचने के लिए बताया गया। भगवानपुर गॉव पार करने के पश्चात रवि उपरोक्त को तेज आवाज से रूकने का कहा लेकिन उसने मोटरसाईकिल और तेज भगा दी। रवि ने अपना पीछा होते देख तथा सामने से पुलिस की गाड़ी आती देख अपने आप को दोनों तरफ से घिरा देखकर महल चौराहे से महल गॉव की ओर जाने वाली सडक पर मोटर साईकिल मोड दी जो फिसलकर वहीं गिर पडी और बदमाश ने अपनी पहनी पेंट की जेब से तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से पुलिस वालों पर फायर किया, जिस पर मजबूरीवश टीम द्वारा साहस एंव शौर्य का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गयी तो जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान रवि कुमार पुत्र सुरेश नि0 ग्राम भगवानपुर थाना दौराला जनपद मेरठ के रूप मे हुई, घायल अवस्था में उक्त बदमाश को हिरासत पुलिस लेकर उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया, जिसके पास से उपरोक्तानुसार बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गई पूछताछ पर यह जानकारी मिली कि यह अपराधी सन्नी काकरान का शार्प शूटर है तथा सन्नी काकरान के कहने पर इसके द्वारा दिनांक 31—05—2023 को कस्बा लावड में कपड़ा व्यापारी स्वदेश विकल से 5 लाख रूपयें की रंगदारी मॉगी गयी थी। उक्त व्यापारी द्वारा रंगदारी न देने पर उसकी दुकान पर जाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी थी, जिसमें व्यापारी स्वदेश विकल का लडका अरूण घायल हो गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना इंचौली जनपद मेरठ पर

मु0अ0सं0 105/2023 धारा 386/307/506/507/120बी भादवि व 3/25/5/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ, जिसमें 50,000/—रूपये का ईनाम घोषित है। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा वर्ष 2015 में लूट के अपराधी अरविन्द पुत्र रामबीर नि0 दौराला जनपद मेरठ जो जेल में निरूद्ध था, को पुलिस कस्टडी से फरार करने में मदद की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन, मेरठ में पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त गिरफ्तार अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त द्वारा कुख्यात अपराधी सन्नी काकरान के कहने पर सिविल लाइन मेरठ एंव खतौली जनपद मु0नगर क्षेत्र में लूट एंव रंगदारी आदि की विभिन्न घटनाओं को अन्जाम दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त रवि कुमार उपरोक्त के विरूद्ध थाना इंचौली जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 208/2023 धारा 307 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कराया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

अभियुक्त रवि कुमार का आपराधिक इतिहास

क्र0 सं0	मु0अ0स 0	धारा	थाना	जनपद
1	17/15	147/148/149/224/225/307/395/412/332/353/34 भादवि	सि0लाइन	मेरठ
2	26/15	353/224/224/216 भादवि	सि0लाइन	मेरठ
3	855/17	25 आर्म्स एक्ट	खतौली	मु0नगर
4	856/17	41/102 द0प्र0सं0	खतौली	मु0नगर
5	376/17	392 भादवि	खतौली	मु0नगर
6	388/19	386 भादवि	खतौली	मु0नगर
7	801/19	307/414 भादवि	खतौली	मु0नगर
8	802/19	3/25 आर्म्स एक्ट	खतौली	मु0नगर
9	105/23	386,307,506,507, 120बी भादवि व 3/25/5/27 आर्म्स एक्ट	इंचौली	मेरठ
10	106/23	307 भादवि	इंचौली	मेरठ
11	208/23	307/414/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट	इंचौली	मेरठ

एसटीएफः अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 तस्कर 3 किलो ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार ।

दिनांक 16.09.2023 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यो को 03 किलो ग्राम अफीम (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 60 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः–

1.आदित्य कुमार दांगी पुत्र श्री तोस्ती मोहतो नि0–शहरजाम थाना इतखोरी जनपद चतरा (झारखण्ड)

2.मूलचन्द्र पुत्र श्री रामभरोसे लाल नि0–ग्राम सिंधौली थाना मीरगंज जनपद बरेली ।

बरामदगीः–

1. 03 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम (अन्तराष्ट्रीय बाजार मूल्य 60 लाख रूपये)
2. मोटर साइकिल यू0पी0 14 डी वी 6826
3. 02 अदद मोबाईल फोन ।
4. 900/– रु0

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांकः–

बरेली शहर में सैटेलाइट बस अड्डे के पास थाना बारादरी जनपद बरेली । दिनांक–16.09.2023 समय–11.00 बजे ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी । इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, बरेली के पर्यवेक्षण में उ0नि0 राशिद अली, मु0आ0 रामजी लाल, मु0आ0 कुलदीप कुमार, आ0 संजय यादव व चालक मु0आ0

शिवओम पाठक एसटीएफ फील्ड इकाई बरेली की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया ।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल नं0–यू0पी0 14 डीवी 6826 डिस्कवर से 02 व्यक्ति सैटेलाइट चौराहे पर आने वाले है जिनके पास भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ होने की सम्भावना है । मुखबिर की इस सूचना पर विश्वास कर सैटेलाइट बस अड्डे के पास दिनांक–16.09. 2023 को 03 किलो अफीम के साथ 02 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि ये अफीम हम झारखण्ड के ग्राम खूंटी के सुमन नामक व्यक्ति से लाते है और इसे रूद्रपुर उत्तराखण्ड के निवासी मनी व अन्य लोगों को सप्लाई करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त मूलचन्द्र व आदित्य कुमार दांगी के विरूद्ध थाना बारादरी जनपद बरेली पर मु0अ0सं0–741/2023 धारा 8/18 एन0डी0पी0एस0 एक्ट व 207 एम0वी0एक्ट पंजीकृत कराया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना बारादरी जनपद बरेली द्वारा की जायेगी ।

––––––